# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 13/2024
सीएमएस : 2024/35

द्रोपती बनाम लिछमा आदि
अन्तर्गत धारा 88–188–92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:–
1. श्री परविन्द्र बिश्नोई वकील प्रति. 1( प्रार्थी )
2. श्री किशोर कुमार सोलंकी , वकील वादी( अप्रार्थी )

**–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी :–**

दिनांक : –13.08.2024

**–: आदेश :–**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया( प्रतिवादी) लिछमा पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल साकिन ततारसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में दावा चला। जिसमें वादी व प्रतिवादी के पक्ष में हुआ। जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 10.07.2002 अपील खारिज की गई। इस न्यायालय के आदेश 21.10. 2000 को बहाल रखा। जिसके विरूद्व प्रार्थीया माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 3949/2002 अनवान लिछमा बनाम द्रोपती पेश की गई। जिसमें उनके निर्णय दिनांक 13.10.2006 के द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.10.2000 व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.07.20022 को निरस्त किया गया। जिसके विरूद्व अप्रार्थी(वादिया) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट सं. 562/2007 प्रस्तुत की। जिसमें निर्णय दिनांक 04.08.2023 के द्वारा द्रोपती का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार निर्हित होना नहीं माना। अपने निर्णय में यह भी निर्धारित किया गया हैं कि वादिया केसराराम की संतान नहीं है। विवादित भूमि में द्रोपती का कोई हिस्सा नहीं है। जबकि वादिया द्वारा पूर्व में विरासतन इन्तकाल को रोकने के लिए गलल तथ्य शपथ पत्र के साथ पेश किया है। जो पूर्णतया विधि विरूद्व हैं। वाद पत्र प्रथम दृष्टय खारिज किये जाने के योग्य है। वादिया को वाद पत्र / प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज फरमाया जावे। वादिया द्वारा जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में द्रोपती पत्नी हीरालाल पुत्री केसराराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–92ए आरटीएक्ट के आधार पर अन्य बिन्दूओं पर पेश किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

2. बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीया (प्रतिवादी) ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अप्राथी (वादिया) का विवादित भूमि में हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादिया का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. वकील अप्रार्थी (वादिया) ने अपनी बहस में जवाब प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराया। [illegible] प्रार्थीया (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारी के निर्णय का उल्ल[illegible] इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

4. बहस पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध द[illegible] का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय [illegible] 2023 के अनुसार अप्रार्थी (वादिया) का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार [illegible] नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय उचि[illegible] प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:38 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

## –: क्रियान्वयन आदेश :–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया (प्रतिवादी) का प्रार्थना अन्तर्गत 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (वादिया) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र / प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट **ांक 15.02.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा)** दोनों इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट के साथ भी संलग्न की जावे।

श मेरे द्वारा आज दिनांक 13.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:38 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner